

स्थापना एवं भर्ती-II

सं.मानू/ई.आर-II/ई.एफ.318/2024-25/601

दिनांक. 16 जुलाई, 2025

कार्यालय आदेश

विषय: पात्र गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को वर्दी भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में – आदेश - जारी।

संदर्भ: कुलपति द्वारा दिनांक.14.07.2025 को अनुमोदित।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित दरों पर संलग्न सूची के अनुसार दिनांक: 01.07.2025 से 104 योग्य (पात्र) गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को वर्दी भत्ता स्वीकृत करने की मंजूरी प्रदान की गई है:

क्र.सं.	वर्ग	पदनाम	प्रतिवर्ष राशि(₹.)
1.	I	चिकित्सा अधिकारी/लैब तकनीशियन/फार्मैसिस्ट और एक्स-रे तकनीशियन	₹. 6,250/-
2.	II	नर्सिंग अधिकारी @₹.2250x12	₹.27,000/-
3.	III	वाहन चालक	₹. 6,250/-
4.	IV	बहुकार्यन स्टाफ (रसोइया/कार्यालय परिचारक/लैब परिचारक/पुस्तकालय परिचारक/छात्रावास परिचारक/ कार्यशाला परिचारक/ किचन परिचारक	₹. 6,250/-

4. इसके अतिरिक्त, वर्दी भत्ते की पात्रता इस शर्त के अधीन होगी कि संबंधित कर्मचारी के प्रमुख/प्रभारी वित्त एवं लेखा अनुभाग तथा स्थापना एवं भर्ती अनुभाग- II को भेजी जाने वाली मासिक उपस्थिति पर प्रमाणित करें, कि कर्मचारी उपस्थिति के विवरण के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान नियमित रूप से वर्दी पहने हुए था।

5. इसलिए, उपरोक्त सभी पात्र गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को भुगतान जारी करने के लिए 28.07.2024 को या उससे पहले संबंधित प्रमुखों/प्रभारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक वचनपत्र वित्त एवं लेखा अनुभाग को जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

//आदेशानुसार//

सुबशीर

सहायक कुलसचिव
स्थापना एवं भर्ती अनुभाग-II

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति/कुलसचिव/ओएसडी-I/ओएसडी-II कार्यालय
2. वित्त अधिकारी (भुगतान जारी करने हेतु)
3. सभी संकाय/विभागों/केन्द्रों/संस्थानों/अनुभागों आदि के विभागाध्यक्ष
4. सभी योग्य (पात्र) गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
5. निदेशक, सीआईटी- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित फाइल